न्यायालय, जिला अपर सत्र न्यायाधीश पंचम, हिलसा (नालन्दा)

उपस्थित — श्री संजीव कुमार राय
अपर सत्र न्या0 — V, हिलसा

अग्रिम जमानत आवेदन सं0— 439 / 2026

इस्लामपुर थाना कांड सं0 — 317 / 2025

धर्मशीला देवी ....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार .... विपक्षी

11.06.2026 अभिलेख को आदेश पारित करने हेतु प्रस्तुत किया गया। आवेदिका धर्मशीला देवी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री मिथलेश प्रसाद द्वारा संचालित किया गया। आवेदक इस्लामपुर थाना काण्ड सं0— 317 / 2025, धारा— 126(2), 115(2), 109, 303(2), 324(4), 351(3), 352, 3(5) बी0एन0एस0 से संबंधित है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन करते हैं कि आवेदक निर्दोष है तथा कोई घटना नहीं किये हैं। आवेदक की ओर से किसी वरीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय पटना में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है और न लंबित है। अभियुक्त के भभु ने उल्टा मुकदमा किया है जो इसलामपुर थाना काण्ड सं0— 318 / 25 है। अभियुक्त घटना के दिन व्यवहार न्यायालय हिलसा में थे। आवेदक के विरूद्व धारा 109, 303(2) बी0एन0एस0 अजामनतीय है। आवेदक पर घर में रखे पेटी बक्सा से तोड़कर दो लाख रूपया लेने की बात कही है जो सरासर गलत है। आवेदक को राजनीति के तहत फंसाया गया है। उभयपक्ष आपस में गोतिया है तथा पैदा काटने के लिए बच्चा—बच्चा में झगड़ा हुआ है। ए0बी0पी0 सं0— 504 / 25 में अभियुक्त पप्पु कुमार को माननीय ए0डी0जे0— V हिलसा के न्यायालय से दिनांक 25.09.2025 को जमानत मिली है। आवेदक बी0एन0एस0एस0 की धारा — 482(2) के शर्तो को मानने तथा न्यायालय की संतुष्टि हेतू उचित जमानतदार देने को तैयार है। अतः किसी भी राशि के अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का प्रार्थना किया गया।

अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि सूचिका किरण देवी दिनांक 18.06.2025 समय 09 बजे दिन में सूचिका का लड़का बिटु कुमार मवेशी चराने खेत पर गया था जो अपना जमीन में झलरा बुना हुआ था जिसको देख—रेख कर रहा था उसी समय गाँव के सौरव कुमार मवेशी चारा रहा था तब सूचिका के लड़का को मवेशी हटाने गया तो सौरव कुमार गाली गलौज करने लगा और लप्पड़—थप्पड़ से मारने लगा, तब सूचिका का लड़का भागकर घर पर चला आया जब सूचिका उनको परिवार को कहने गये तो सूचिका को भी गाली गलौज करते हुये पुरा परिवार गाली गलौज करते हुये घर पर चढ़ गये तथा बिना पूछे 1. सौरव कुमार लाठी से मारा जिससे सूचिका के लड़का का माथा फुट गया 2. सूचिका अपने पुत्र को बचाने गयी तो गौरव कुमार ने धारदार हथियार से माथा पर मारा जससे माथा फट गया और जख्मी होकर गिर गया। जब होश आया आया तो कान का सोने का कानबाली कीमत 35,000 / —रूपया एवं सोने का चैन कीमत 40,000 / —यपया ले लिया 3. पप्पु कुमार एवं उनके पत्नी सभी घर में रखे हुये समान बक्सा तोड़ फोड़ किया और रखे करीब दो लाख रूपयो का सोना चाँदी का जेवरात एवं 50,000 रू0 नकद ले लिया और जान मारने की धमकी भी दिया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि काण्ड दैनिकी अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया। अग्रिम जमानत आवेदन के कंडिका तीन में

न्यायालय; जिला अपर सत्र न्यायाधीश पंचम, हिलसा (नालन्दा)

उपस्थित – श्री संजीव कुमार राय
अपर सत्र न्या0 – V, हिलसा

अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 439/2026

कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदिका पर केवल यह आरोप है कि वह बाद में अन्य अभियुक्तों के साथ आई और घर में रखी वस्तुओं को उठा ले गई। आवेदिका पर कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। दोनों तरफ से केस किया गया है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं मामले के परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदिका धर्मशीला देवी को 10,000/–रूपया एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं द्वारा बंधपत्र दाखिल करने पर इस न्यायालय के आदेश की तिथि से एक माह के अंदर विचारण न्यायालय में आत्म समर्पण करने अथवा गिरफ्तार के समय जमानत बंधपत्र दाखिल करने पर **अग्रिम** जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

अपर सत्र न्यायाधीश पंचम,
हिलसा (नालन्दा)

Date of Order	11.06.2026
Date of Reserving Order	
Uploading date	15.06.2026
Uploaded by	MD GUFRAN (STENOGRAPHER)